शिक्षा के लिए विकलाँगता मानक 2020 की समीक्षा
चर्चा पत्र

प्रस्तावना

इस चर्चा पत्र का प्रयोजन शिक्षा के लिए विकलाँगता मानक 2005 (मानकों) की 2020 की समीक्षा (समीक्षा) के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सलाह-मशवरों का समर्थन करना है। इस पत्र में, हम यह वर्णन करते हैं कि मानक क्या हैं और वे क्या करते हैं, समीक्षा का प्रयोजन क्या है, पिछली समीक्षाओं से हमें क्या पता लगा है, और आप इसमें कैसे शामिल हो सकते/सकती हैं। पत्र में आपके विचारों और अनुभवों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने में सहायता देने के लिए चर्चा संबंधी सवाल भी शामिल हैं।

शिक्षा तक पहुँच मिलने से और इसमें सहभागिता लेने से विकलाँगता ग्रस्त लोगों को पूर्ण रुप से समाज में भाग लेने और अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में समर्थन मिलता है। **सकारात्मक शैक्षिक अनुभवों का किसी व्यक्ति के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है** तथा इससे वह आगे की पढ़ाई, रोज़गार और एक लाभप्रद जीवन व्यतीत कर सकता है।

2018 के ABS के विकलाँगता, वयोवृद्धि और देखभालकर्ता सर्वेक्षण (Survey of Disability, Ageing and Carers - SDAC) में, 0-4 साल के 4 प्रतिशत बच्चों, 5-19 साल के 10 प्रतिशत बच्चों और 15-64 साल के 13 प्रतिशत लोगों ने विकलाँगता से ग्रस्त होने की सूचना दी थी। 2018 में कुल मिलाकर, विकलाँगता से ग्रस्त लोग कुल ऑस्ट्रेलियाई जनसंख्या के 17.7 प्रतिशत भाग थे जिसका अर्थ है 43 लाख लोग।

इसके आगे, 2019 में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने वाले **पांच स्कूली विद्यार्थियों में से करीब एक विद्यार्थी (19.9 प्रतिशत)** को विकलाँगता से ग्रस्त स्कूली विद्यार्थियों से सम्बन्धित राष्ट्रीय तौर पर सुसंगत रुप से एकत्रित डेटा (Nationally Consistent Collection of Data on School Students with Disability - NCCD) के अनुसार विकलाँगता से कारण एडजस्टमेंट (समायोजन) प्राप्त हुआ था।

शिक्षा के लिए विकलाँगता मानकों की भूमिका

शिक्षा के लिए विकलाँगता के मानक 2005 (मानक) 18 अगस्त 2005 को लागू हुए थे। इनके द्वारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थी **उन विद्यार्थियों के समान आधार पर शिक्षा तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं होते हैं।**

ये मानक *विकलाँगता भेदभाव अधिनियम 1992 (Disability Discrimination Act 1992)* (the DDA) के अधीन आने वाले कानून हैं; इसका यह अर्थ है कि ये अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। DDA के अधीन, **विकलाँगता के कारण किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना गैर-कानूनी है।** DDA शिक्षा सहित जन जीवन के कई क्षेत्रों में विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को उनके खिलाफ भेदभाव किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।

DDA के प्रभाग 2 के भाग 2 के अधीन, **DDA द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले** समान पहुँच और अवसरों से सम्बन्धित अधिकारों और जिम्मेदारियों को और अधिक विवरण में उल्लिखित करने के लिए **अटॉर्नी-जनरल विकलाँगता मानक बना सकता है।**

DDA के अधीन निम्नलिखित मानक बनाए गए हैं:

- सुलभ जन परिवहन के लिए विकलाँगता मानक 2002
- शिक्षा के लिए विकलाँगता मानक 2005
- विकलाँगता (परिसरों – इमारतों तक पहुँच) मानक 2010.

यदि कोई व्यक्ति मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, तो वह DDA की अनुपालना करता है। **शिक्षा प्रदाता के लिए यह ज़रुरी है कि वह मानकों का अनुपालन करे** अन्यथा वह गैर-कानूनी ढंग से काम कर रहा होगा।

शिक्षा के लिए विकलाँगता मानकों का प्रयोजन

मानकों का प्रयोजन DDA के शैक्षिक प्रावधानों को स्पष्ट करना है। इनका उद्देश्य DDA के अधीन **अधिकारों और दायित्वों को समझना अधिक आसान बनाना है**।

मानकों में शामिल हैं:

- **नामांकन**
- **सहभागिता**
- **पाठ्यक्रम तैयार करना**
- **मान्यता और सुपुर्दगी**
- **विद्यार्थी समर्थन सेवाएँ**
- **उत्पीड़न एवं शोषण को मिटाना।**

मानकों का प्रत्येक भाग निम्नलिखित निर्धारित करता है:

- शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संबंध में **विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के अधिकार** (भावी विद्यार्थियों सहित) ताकि लोगों को यह समझने में मदद मिले कि मानकों के अधीन क्या सही और यथोचित है
- **शिक्षा प्रदाताओं के कानूनी दायित्व या जिम्मेदारियाँ**
- **अनुपालन के मापक** जो ये उदाहरण हैं कि मानकों के प्रत्येक भाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है।

जिन शिक्षा प्रदाताओं पर मानक लागू हैं, उनमें शामिल हैं: प्रीस्कूल और किंडरगार्टन, सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल, टैक्नीकल एंड फर्दर एजुकेशन (TAFE) प्रदाता तथा अन्य वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (VET) प्रदाता, वयस्क शिक्षा प्रदाता और उच्च शिक्षा संस्थान।

यथोचित एडजस्टमेंट (समायोजन) के लिए दायित्व

मानक विकलाँगता से ग्रस्त किसी विद्यार्थी की, उन विद्यार्थियों जो विकलाँगता से ग्रस्त न हों, के समान आधार पर शिक्षा में भाग लेने में सहायता करने के लिए किसी शिक्षा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले **यथोचित एडजस्टमेंट (समायोजनों) से सम्बन्धित दायित्व** के बारे में विवरण प्रदान करते हैं। गैर-यथोचित समायोजन करने को लेकर कोई दायित्व नहीं होता है।

शिक्षा प्रदाताओं के लिए यह ज़रुरी है कि वे **यथोचित समायोजनों के बारे में विद्यार्थियों और उनके परिजनों या देखभालकर्ताओं से सलाह-मशवरा** करें। उन्हें कर्मचारियों और अन्य विद्यार्थियों जैसे प्रभावित लोगों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोर्स या शिक्षा कार्यक्रम और इसके आकलन की अखंडता बनाए रखी जाती है।

मानक उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट करते हैं जहाँ शिक्षा प्रदाता को यथोचित समायोजन करने से छूट मिली हो और जहाँ ऐसा करना उनपर **अनुचित विपत्ति** पैदा करे। यह छूट उत्पीड़न और शोषण पर ध्यान देने की स्थिति में लागू नहीं होती है।

शिकायत करना

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई शिक्षा प्रदाता मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो उनके पास विकलाँगता भेदभाव के बारे में **ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग (Australian Human Rights Commission - AHRC) को शिकायत करने का अधिकार है।** AHRC सुलह प्रक्रिया के द्वारा स्थिति का समाधान करने की कोशिश करेगा।

यदि AHRC द्वारा की गई सुलह प्रक्रिया नाकामयाब रहती है, तो **असंतुष्ट व्यक्ति** फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फेडरल सर्कट कोर्ट में **कानूनी कार्यवाहियाँ शुरु कर सकता है**।

2010 और 2015 की समीक्षाएँ

2010 की समीक्षा में यह पता चला कि शिक्षा में पहुँच और सहभागिता का प्रसार करने के लिए मानक एक बढ़िया तंत्र प्रदान करते हैं परन्तु ऐसे कई मुद्दों की पहचान की गई थी जिनके बारे में यह लगता था कि ये मानकों की प्रभावकारिता को कमज़ोर करते हैं। 2015 की समीक्षा में यह पता चला कि हालाँकि 2010 के बाद से मानकों की सुलभता और प्रयोग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, पर यह स्पष्ट था कि अभी अधिक प्रयत्नों और समर्थन साधनों की आवश्यकता थी।
2010 और 2015 की समीक्षाओं में पहचान किए गए व्यापक विषयों में शामिल थे:

- **जागरुकता पैदा करना** – यह सुनिश्चित करने के लिए और काम किया जा सकता है कि मानक उपभोक्ताओं पर केन्द्रित थे, उनका व्यापक तौर पर प्रसार किया जा रहा था, हर किसी के लिए सुलभ थे और अच्छी तरह समझे जाते थे
- **स्पष्टता समझबूझ और क्षमता** – 'यथोचित एडजस्टमेंट (समायोजन)' और 'गैर-यथोचित विपत्ती' जैसे शब्दों का अलग-अलग अर्थ निकाले जाना और अलग-अलग प्रयोग किए जाना, तथा शिक्षकों के लिए अधिक समर्थन एवं मार्गदर्शन की ज़रुरत
- **शिकायतें** – समझौता-वार्ता और मध्यस्थता प्रक्रियाओं सहित मानकों के लिए शिकायत क्रियाविधियाँ विद्यार्थियों और उनके परिवारों व देखभालकर्ताओं के लिए असुलभ तथा कठिन हो सकती हैं और समय लगने वाली हो सकती हैं
- **जवाबदेही और अनुपालन** – मानकों के साथ अनुपालन को संचालित करने के लिए शिकायत क्रियाविधियों पर निर्भरता प्रभावहीन है तथा इसे और अधिक अग्रसक्रिय क्रियाविधियों के साथ पूर्ण किया जा सकता है।

जिन परिस्थितियों में 2020 की समीक्षा के लिए समान विषयों की पहचान की जाती है, वहाँ हम 2015 से लेकर इन क्षेत्रों में ध्यान दिए जाने के लिए की गई प्रगति की सीमा का अवलोकन करेंगे, इसमें विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राजकीय संशोधन शामिल हैं।
हम यह स्वीकार करते हैं कि हो सकता है कि 2015 की समीक्षा में दिए गए कुछ सुझावों ने स्पष्ट रुप से प्रगति न की हो। हम इसपर विचार करेंगे कि वर्तमान समीक्षा के भाग के तौर पर कौन से सुझाव प्रासंगिक बने रहते हैं, और कौन से सुझाव हटा दिए जाने चाहिए।

मानकों की 2020 की समीक्षा

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के लिए यह ज़रुरी है कि वे अटॉर्नी-जनरल के साथ सलाह-मशवरा करके **हर पांच साल बाद मानकों की समीक्षा करें**।

समीक्षा इस बात की जांच करती है कि क्या मानक अपने लक्ष्यों को हासिल करने में प्रभावी हैं, ये लक्ष्य हैं:

> *(a) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में विकलाँगता के आधार पर व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को जितना संभव हो सके, मिटाना; और*
>
> *(b) जितना व्यवहार्य हो सके, यह सुनिश्चित करना कि विकलाँगता से ग्रस्त व्यक्तियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कानून के समक्ष बाकी के समुदाय के साथ समानता से अधिकार प्राप्त हैं; और*
>
> *(c) समुदाय में इस सिद्धांत की पहचान और स्वीकृति का प्रसार करना कि विकलाँगता से ग्रस्त व्यक्तियों के पास बाकी के समुदाय के समान बुनियादी अधिकार हैं।*

अनिवार्य रुप से, समीक्षा यह पूछती है कि क्या मानक अपना काम कर रहे हैं और, यदि नहीं, तो इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है।

2020 की समीक्षा का पैमाना और ध्यान

यह समझने के लिए कि क्या मानक अपना काम कर रहे हैं, हमें विद्यार्थियों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं, उनके शिक्षा प्रदाताओं और शिक्षकों तथा उनके पक्षसमर्थकों के प्रतिदिन के अनुभव जानने की ज़रुरत है।

हमें राज्यों और टेरेटरियों, शिक्षा प्राधिकरणों, राष्ट्रीय एजेंसियों और विनियामकों, तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बात करने की भी ज़रुरत है।

हमें हासिल ज्ञान और समझबूझ का प्रयोग करके, हम फिर यह निर्धारण कर सकते हैं कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रावधान के लिए DDA का विवेचन करने के लिए एक क्रियाविधि के तौर पर मानक कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं।

2020 की समीक्षा के लिए संदर्भ की शर्तें

मानकों की प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा में निम्नलिखित पर ग़ौर किया जाएगा:

1. क्या मानक (और इसकी मार्गनिर्देशन टिप्पणियों) में निर्धारित अ**नुपालन के अधिकार, दायित्व और मापन स्पष्ट और उचित** हैं?
2. क्या विद्यार्थी, परिवार एवं देखभालकर्ता, शिक्षक, शिक्षा प्रदाता और नीति निर्माता मानकों में अनुपालन के अधिकारों, दायित्वों और मापन **के बारे में जानते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें लाग् करते हैं और उनकी पालना** करते हैं?
3. मानकों के विकसित किए जाने के बाद के 15 वर्षों में, **क्या मानकों ने यह योगदान दिया है कि विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थी** उन विद्यार्थियों के समान आधार पर **शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम** हैं जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं होते हैं?

समीक्षा के लिए सलाह-मशवरे में **विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल एवं टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी विद्यार्थियों के अनुभवों** पर मानकों के प्रभाव का **ध्यान दिया जाना** शामिल होगा।

सुझावों को तैयार करने में, **समीक्षा में अधिकार-क्षेत्रों और एजेंसियों के बीच राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यवाही के लिए अवसरों पर ध्यान दिया जाएगा**, इसमें अध्यापकों और शिक्षकों के ज्ञान और क्षमताओं को अधिक मज़बूत करने के लिए कार्यवाही करनी, और यह शामिल है कि क्या **मानकों में कोई संशोधन** करने की ज़रुरत है या नहीं।

समीक्षा का पैमाना

हम यह मानते हैं कि विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके के बारे में व्यापक चर्चाएँ हुई हैं, जिन्हें कई समीक्षाओं व पूछताछ में प्रकट किया गया है, और विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के प्रति होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण के लिए किए जाने वाले रॉयल कमीशन (डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन) में इसका पता लगाना जारी रखा जाता है। हम यह स्वीकार करते हैं कि समावेशी शिक्षा और विशेष स्कूलों या पृथक्कृत परिसरों की मौजूदगी, साथ ही विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए फंडिंग जैसे मुद्दों के बारे में कड़े दृष्टिकोण हैं। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कुछ मुद्दे इस समीक्षा के पैमाने से परे हैं।

इस समीक्षा के लिए मुख्य सवाल यह है कि क्या मानक विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के प्रति, उन विद्यार्थियों जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं हैं, के समान आधार पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुँच पाने में सक्षम होने में **सकारात्मक अंतर डाल रहे हैं या नहीं और यदि हाँ तो किस सीमा तक।** इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रुरत है।

समीक्षा में कैसे शामिल होना चाहिए

हम **किसी भी ऐसे व्यक्ति से मानकों के किसी भी पहलु से सम्बन्धित टिप्पणियों का स्वागत करते हैं** जो योगदान देना चाहता है। इसमें वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे युवाओं से लेकर अन्य लोगों का पक्षसमर्थन करने वाले लोग शामिल हैं – **जितने संभव हो सके हम उतने लोगों से उनके विचार जानना चाहते हैं।**

सभी योगदान आपके अनुभवों के बारे में हमारी समझबूझ का निर्माण करते हैं और **यह पता लगाने में हमारी मदद करते हैं कि क्या मानकों की प्रभावकारिता का समर्थन करने के लिए बदलाव करने आवश्यक हैं या नहीं।**

हम विशेष रुप से **युवा लोगों के विचार जानना** चाहते हैं और विकलाँगता से ग्रस्त **एबोरिजनल एवं टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी विद्यार्थियों** और उनके परिवारों तथा देखभालकर्ताओं **के अनुभवों के बारे में और जानना चाहते हैं।**

हमारे लोक सलाह-मशवरों का संचालन जुलाई 2020 से लेकर करीब तीन महीनों के लिए किया जाएगा। हम आपको शामिल होने तथा अपने विचार प्रकट करने के कई तरीके प्रदान करेंगे। सलाह-मशवरे की तिथियों की पुष्टि होने पर इन्हें Review वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।

वेबसाइट पर, आप अपनी खुद की लिखित, वीडियो और ऑडियो सब्मीशन जमा कर सकते/सकती हैं या प्रश्नोतरी पूरी कर सकते/सकती हैं। विभिन्न प्रकार के सलाह-मशवरे के अवसर भी उपलब्ध होंगे, जिनमें शामिल होने के लिए आप अपनी रुचि व्यक्त कर सकते/सकती हैं।

COVID-19 महामारी का यह अर्थ है कि अधिकांश सलाह-मशवरे ऑनलाइन होंगे, परन्तु हम कुछ विशिष्ट समूहों के साथ आमने-सामने के सलाह-मशवरे करेंगे जब भी ऐसा करने की संभावना होगी।

और अधिक जानकारी के लिए Review वेबसाइट देखें या समीक्षा के बारे में अपडेट्स प्राप्त करने के लिए साइन अप करें ताकि जैसे-जैसे और अधिक जानकारी उपलब्ध होगी आपको मिलती रहे।

अपने विचार प्रकट करें

हम **आपके विचार सुनना चाहते हैं।** निम्नलिखित सवाल इस बारे में हैं कि आप यह सोचें कि **समीक्षा में अपने विचार प्रदान करने में आप मदद** कैसे कर सकते/सकती हैं।

आप सब्मीशन जमा करके, प्रश्नोतरी का जवाब देकर या समीक्षा में अन्य तरीकों से योगदान देकर सवालों का जवाब दे सकते/सकती हैं। सवाल सामान्यत: यह समझने में हमारी सहायता करने के लिए एक संदर्शिका होते हैं कि मानकों के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित आपके विचार और अनुभव क्या हैं।

जवाब देते समय, कृपया हमें यह बताएँ कि क्या आप एक विद्यार्थी, माता-पिता / देखभालकर्ता, शिक्षक (इसमें अध्यापक, प्रशिक्षक एवं आकलनकर्ता शामिल हैं), पक्षसमर्थक, शिक्षा प्रदाता, या कोई अन्य हैं। जहाँ उचित हो, कृपया हमें यह बताएँ कि आपकी टिप्पणियाँ किस शिक्षा क्षेत्र से सबसे अधिक सम्बन्धित हैं, जैसे कि प्रीस्कूल, स्कूलिंग, वोकेशनल शिक्षा एवं ट्रेनिंग, युनिवर्सिटी।

विद्यार्थियों और माता-पिता या देखभालकर्ताओं के लिए सवाल

शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने से सम्बन्धित अपने अनुभव हमें बताएँ।

- नामांकन एवं पहुँच: शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने का आपका अनुभव कैसा रहा है? स्कूल या अन्य शिक्षा में नामांकन कराने की प्रक्रिया क्या थी और क्या आप परिणाम को लेकर प्रसन्न थे?
- सहभागिता: क्या आपके शिक्षा प्रदाता/ओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित समायोजन किए हैं कि आप या आपकी संतान शिक्षा में भाग ले सके? इसमें कोर्स और कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम में भाग लेना और सुविधाओं का प्रयोग करना शामिल है। शिक्षा प्रदाता ने आपके साथ कैसे सलाह-मशवरा किया? क्या आप परिणाम को लेकर प्रसन्न थे?
- विद्यार्थियों का समर्थन करना: क्या आपको या आपकी संतान को शिक्षा के दौरान आपको या आपके संतान को उचित रुप से समर्थन किया गया था? इसमें विशेषज्ञ संसाधनों सहित समर्थनों तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम होना शामिल है।
- उत्पीड़न या शोषण: यदि आपने या आपकी संतान के शिक्षा परिवेश में उत्पीड़न या शोषण का सामना किया है, तो क्या घटना घटी थी? इसपर ध्यान देने के लिए आपके / उनके शिक्षा प्रदाता के क्या कदम उठाए?

- अनुपालन: यदि आपके विचार में कोई शिक्षा प्रदाता अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा था, तो इसका निपटान कैसे किया गया? क्या आपको पता था कि शिकायत कैसे करनी है? क्या हुआ?
- ट्रांज़िशन (अवस्थांतर): शिक्षा के अवसरों तक पहुँच प्राप्त करने और किसी एक शिक्षा क्षेत्र से किसी दूसरे शिक्षा क्षेत्र, जैसे कि स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई, के लिए अवस्थांतर करने से सम्बन्धित अपने या अपनी संतान के अनुभव के बारे में हमें बताएँ।
- विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल एवं टोरस स्ट्रेट विद्यार्थी: शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने के आपके या आपकी संतान के अनुभवों के बारे में हमें बताएँ।
- विशिष्ट अनुभव: अन्य परिस्थितियाँ भी विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने पर पर असर डाल सकती हैं, जैसे कि आयु, लिंग, सेक्स, लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिविन्यास, इंटरसेक्स स्थिति, जातीय मूल या नस्ल, और सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध पृष्ठभूमि। आपकी परिस्थितियों ने आपके शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने और हमें भाग लेने के अवसर को कैसे प्रभावित किया; इसके बारे में हमें बताएँ।
- COVID-19: क्या COVID-19 ने शिक्षा में भाग लेने के आपके या आपकी संतान के अनुभव को प्रभावित किया है? क्या आपके अनुभवों पर कभी अन्य मुख्य घटनाओं का असर पड़ा है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ?

हम यह जानना चाहते हैं कि मानकों के बारे में आपके क्या विचार हैं

- क्या आप मानकों और इस बात से परिचित हैं कि इन्हें किस प्रयोजन से डिज़ाइन किया गया था? यदि हाँ, तो आपको मानकों के बारे में कहाँ से पता चला?
- जब बात शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने की हो तो क्या आपको लगता है कि आप अपने या अपनी संतान के अधिकार समझते/समझती हैं?
- क्या आप हमें बता सकते/सकती हैं कि मानकों ने किस प्रकार आपको आपके या आपकी संतान के अधिकारों को समझने में आपकी सहायता की है?
- क्या आपको लगता है कि मानक विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों को उन विद्यार्थियों, जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं होते हैं, के समान आधार पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने में मदद करते हैं? क्यों, या क्यों नहीं?
- क्या आपको लगता है कि मानक विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल एवं टोरस स्ट्रेट विद्यार्थियों को उन विद्यार्थियों, जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं होते हैं, के समान आधार पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने में मदद करते हैं? हमें बताएँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है।

यह समीक्षा हमें यह विचार करने में सहायता देगी कि क्या हमें मानकों में सुधार करने की ज़रुरत है और इनका प्रयोग और कार्यान्वयन कैसे किया जाता है। **हम यह जानना चाहते हैं कि आपके विचार से मानकों में सुधार कैसे किया जा सकता है।**

- क्या शिक्षा एवं प्रशिक्षण में पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने की इच्छा रखने वाले विकलाँगता से ग्रस्त उन विद्यार्थियों को अभी भी बाधाओं का सामना करता पड़ता है? यदि ऐसा है, तो आपको क्या लगता है कि इन बाधाओं पर ध्यान देने में मदद देने के लिए मानकों में सुधार कैसे किया जा सकता है?
- क्या मानकों में बदलाव करने की ज़रुरत है? यदि हाँ, तो कृपया हमें बताएँ कि आप इनमें बदलाव कैसे करेंगे और क्यों।
- मानकों के प्रति जागरुकता में सुधार करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
- क्या और अधिक या अलग समर्थन सामग्री मानकों को समझने में आपकी सहायता करेगी?
- क्या आप मानकों के लिए मार्गदर्शन टिप्पणियों से अवगत हैं और क्या ये आपको उपयोगी लगती हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल एवं टोरस स्ट्रेट विद्यार्थियों का बेहतर समर्थन करने के लिए मानकों में सुधार कैसे किया जा सकता है?

शिक्षकों तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रदाताओं के लिए सवाल

विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के साथ **अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएँ।**

- नामांकन एवं पहुँच: विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने के बारे में आपका अनुभव कैसा रहा है?
- सहभागिता: क्या आप यथोचित समायोजन करने के लिए अपने दायित्व समझते/समझती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलाँगता से ग्रस्त सभी विद्यार्थी शिक्षा में भाग ले सकते हैं? इसमें कोर्स और कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम में भाग लेना और सुविधाओं का प्रयोग करना शामिल है। क्या आपको यह पता है कि किसी विद्यार्थी या माता-पिता / देखभालकर्ता से सलाह-मशवरा कैसे करना है? यदि यथोचित समायोजन करने में आपके कोई अनुभव रहे हैं, तो हमें इनके बारे में बताएँ।
- विद्यार्थियों का समर्थन करना: क्या आपने विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों का उनकी शिक्षा के दौरान उचित रुप से कैसे समर्थन किया है? इसमें विद्यार्थी द्वारा विशेषज्ञ संसाधनों सहित समर्थनों तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम होना शामिल है।
- उत्पीड़न या शोषण: क्या आपने किसी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहाँ विकलाँगता से ग्रस्त आपके किसी विद्यार्थी के साथ उत्पीड़न या उसका शोषण हुआ हो? इसपर ध्यान देने के लिए आपने क्या कदम उठाए?
- अनुपालन: क्या आपके किसी विद्यार्थी या माता-पिता / देखभालकर्ता ने यह कहा है कि आप अपने दायित्व पूरे नहीं कर रहे हैं? आपने इसपर कैसे ध्यान दिया?
- ट्रांजिशन (अवस्थांतर): विकलाँगता से ग्रस्त किसी विद्यार्थी के किसी एक शिक्षा क्षेत्र से किसी दूसरे शिक्षा क्षेत्र, जैसे कि स्कूल से स्कूल के बाद की पढ़ाई, में अवस्थांतर करने में सहायता देने के अपने अनुभव के बारे में हमें बताएँ।
- विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल एवं टोरस स्ट्रेट विद्यार्थी: विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल एवं टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी विद्यार्थियों का समर्थन करने के अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएँ। आपने शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने में उनकी मदद कैसे की? आपने उनके साथ और उनके परिवारों व देखभालकर्ताओं के साथ सलाह-मशवरा कैसे किया?
- विशिष्ट अनुभव: अन्य परिस्थितियाँ भी विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने पर पर असर डाल सकती हैं, जैसे कि आयु, लिंग, सेक्स, लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिविन्यास, इंटरसेक्स स्थिति, जातीय मूल या नस्ल, और सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध पृष्ठभूमि। यदि आपके यहाँ विकलाँगता से ग्रस्त ऐसे विद्यार्थी हैं जिनपर अन्य परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा है, तो हमें बताएँ कि शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने में आपने उनकी मदद कैसे की।
- COVID-19: क्या COVID-19 ने विकलाँगता से ग्रस्त आपके विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा में भाग लेने के अनुभव को प्रभावित किया है? क्या उनके अनुभव किन्हीं अन्य मुख्य घटनाओं से कभी प्रभावित हुए हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ

हम यह जानना चाहते हैं कि मानकों के बारे में आपके क्या विचार हैं

- क्या आप मानकों और इस बात से परिचित हैं कि इन्हें किस प्रयोजन से डिज़ाइन किया गया था? यदि हाँ, तो आपको मानकों के बारे में कहाँ से पता चला?
- क्या आपने मानकों के बारे में किसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? इसमें क्या शामिल था?
- जब बात विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुँच पाने और इसमें भाग लेने की होती है तो क्या आप अपने दायित्वों को समझते/समझती हैं? मानकों ने आपको अपने दायित्व समझने में कैसे मदद की है?
- क्या आप यथोचित एडजस्टमेंट (समायोजन) पर समझौता-वार्ता करने और इसे लागू करने को लेकर आश्वसत महसूस करते/करती हैं? क्या आपको पता है कि यह निर्धारण कैसे करना है कि क्या ऐसा करने से अनुचित विपत्ति हो सकती है?

- क्या आपको लगता है कि मानक विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों को उन विद्यार्थियों, जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं होते हैं, के समान आधार पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने में मदद करते हैं? क्यों, या क्यों नहीं?
- क्या आपको लगता है कि मानक विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल एवं टोरस स्ट्रेट विद्यार्थियों को उन विद्यार्थियों, जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं होते हैं, के समान आधार पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने में मदद करते हैं? हमें बताएँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है।

यह समीक्षा हमें यह विचार करने में सहायता देगी कि क्या हमें मानकों में सुधार करने की ज़रुरत है और इनका प्रयोग और कार्यान्वयन कैसे किया जाता है। **हम यह जानना चाहते हैं कि आपके विचार से मानकों में सुधार कैसे किया जा सकता है।**

- विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने या इसमें भाग लेने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता देने के लिए आपके अनुसार मानकों में सुधार कैसे किया जा सकता है?
- क्या मानकों में बदलाव करने की ज़रुरत है? यदि हाँ, तो कृपया हमें बताएँ कि आप इनमें बदलाव कैसे करेंगे।
- मानकों के प्रति जागरुकता में सुधार करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
- क्या मानकों को समझने और इन्हें लागू करने में मदद देने के लिए आपको और अधिक या अलग प्रकार के समर्थन की ज़रुरत है? किस प्रकार का समर्थन उपयोगी होगा?
- क्या आपको मानकों की मार्गदर्शन टिप्पणियाँ उपयोगी लगती हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
- विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल एवं टोरस स्ट्रेट विद्यार्थियों और उनके परिवारों तथा देखभालकर्ताओं के लिए मानकों का बेहतर काम करने के लिए आप क्या बदलाव करेंगे?

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल तथा मानक

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल (एर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर) के संदर्भ में, मानक वर्तमान में प्रीस्कूलों और किंडरगार्टन पर लागू होते हैं, परन्तु विशिष्ट तौर पर चाइल्डकेयर प्रदाताओं को इनसे अलग रखा जाता है।

2010 और 2015 दोनों की समीक्षाओं में यह पता चला था कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल क्षेत्र में उम्मीदों और जिम्मेदारियों को लेकर कुछ उलझन थी, और साथ ही इस बारे में भी कि कौन से प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं देखभाल प्रदाता मानकों द्वारा सुरक्षित हैं। समीक्षाओं में यह सुझाव दिया गया कि मानकों की सीमा को बढ़ाकर इन्हें चाइल्डकेयर प्रदाताओं पर लागू किए जाने पर ग़ौर किया जाए।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार और राज्य एवं टेरेटरी की सरकारों के अधिकारियों ने मानकों की सीमा को बढ़ाकर इन्हें चाइल्डकेयर में लागू करने के प्रभाव और असरों पर ग़ौर करने का काम शुरु किया है। इसमें यह शामिल है कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल परिसरों के संबंध में DDA के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों की अधिक स्पष्टता और समझबूझ का समर्थन किस सीमा तक किया जाए।

अन्य प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल परिसरों तक मानकों के संभावित विस्तार से सम्बन्धित विचारों की जांच इस समीक्षा और इसके सलाह-मशवरों के द्वारा की जाएगी। अगस्त में **एक अलग चर्चा पत्र प्रकाशित किया जाएगा** जिसमें प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल में मानकों और DDA से सम्बन्धित आपके अनुभव प्राप्त करने और अगले रास्तों के लिए आपके विचार प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी।

सुलभता

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलाँगता से ग्रस्त लोग समीक्षा में भाग लेने और अपना परिज्ञान व अनुभव सांझा करने में सक्षम हैं, सलाह-मशवरे सुलभ होंगे, इसमें आसानी से पढ़ने योग्य (Easy Read) दस्तावेज़, Auslan-English दुभाषिए और कैप्शनिंग (अनुशीर्षक देना) शामिल है। Easy Read और अन्य सामग्री पहले से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोगों को प्रदान की जा रही जानकारी और पूछे जा रहे सवालों पर ग़ौर करने में मदद मिल सके। समीक्षा में लोगों की इस संबंधी प्राथमिकताओं पर विचार किया जाएगा कि वे अपने अनुभव कैसे सांझे करना चाहते हैं। लोग यह फैसला ले सकते हैं कि वे किस तरह भाग लेना चाहते हैं, इसमें अपने लिए उचित बैठते समय के हिसाब से ऑनलाइन सवालों का जवाब देना या किसी चर्चा में भाग लेना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे कि, सलाह-मशवरों की अवधि और समय सहित, अवसर लोगों की विशिष्ट ज़रुरतों और निवेदनों का समायोजन करते हैं।

सार्वजनिक सलाह-मशवरे सरकारों को हमारे परामर्श की सूचना देंगे

समीक्षा में आपके विचार इस संबंधी परिज्ञान देंगे कि क्या मानक अपने कथित लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, और ये विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार काम कर रहे हैं।

यदि हमें यह पता लगता है कि मानक वर्तमान में असरदार नहीं हैं, या कोई ऐसी स्थितियाँ जहाँ विशेष सुधार किए जा सकते हैं, तो हम इस संबंधी सुझाव देंगे कि क्या बदले जाने की ज़रुरत है, इसे कैसे बदलना है, और किन समयसीमाओं में बदलाव लागू किए जाने चाहिए।

हम राज्य और टेरेटरी सरकारों के साथ सहभागिता में ऐसा करेंगे, अंतिम रिपोर्ट तथा संबद्ध रिपोर्ट सिफारशों को विकसित करने के लिए हम उनके साथ करीबी से और सहयोगपूर्ण ढंग से काम करेंगे। हमारा उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई सरकार, राज्यों और टेरेटरियों, तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षा प्रदाताओं के बीच राष्ट्रीय तौर पर सहयोगपूर्ण कार्यवाही के लिए अवसरों पर ध्यान देना है।

समीक्षा रिपोर्ट दिसम्बर 2020 में केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री को प्रदान की जाएगी। अंतिम रिपोर्ट 2021 की शुरुआत में सभी सरकारों को उनके द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

सब्मीशन (प्रस्तुति) करना

लोगों और संस्थाओं को समीक्षा वेबसाइट [http://www.disabilitystandardsreview.education.gov.au] पर सब्मीशन देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

इस चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया के तौर पर लिखित, वीडियो और ऑडियो सब्मीशन स्वीकार किए जाएँगे। लिखित सब्मीशन 3000 शब्दों तक सीमित होनी चाहिए।

केवल ऐसे सब्मीशन जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर प्रदान नहीं किए जा सकते हैं, वे ही हॉर्ड कॉपी प्रारुप में निम्नलिखित पते पर प्रदान किए जा सकते हैं:

Disability Standards for Education Review Team
Disability Strategy Taskforce
GPO Box 9880
Canberra City ACT 2601

संपर्क

इस पत्र सहित, समीक्षा के बारे में पूछताछ के लिए, कृपया शिक्षा, कौशल एवं रोज़गार विभाग (Department of Education, Skills and Employment) से DisabilityStrategy@dese.gov.au पर संपर्क करें।

इस संबंधी पूछताछ के लिए कि समीक्षा के सलाह-मशवरों में शामिल कैसे होना है, इसमें वेबीनार में रजिस्टर करने या प्रश्नोतरी पूरी करने में सहायता लेना शामिल है, कृपया The Social Deck से engage@thesocialdeck.com पर संपर्क करें।